महंत ललिता शरणीजी

बनाम

देवकी देवी और अन्य

16 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण मदन बी0 लोकुर और दीपक गुप्ता]

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 – धारा 9 (2), एल आई–ए चकबंदी कार्यवाही – अपीलकर्ता– एक मंदिर के महंत, 212/2 सख्या वाले भूखंड के मालिक और प्रतिवादी भूखंड संख्या 319 वाली भूमि के मालिक – चकबंदी की कार्यवाही – अपीलकर्ता को प्लॉट संख्या 212/2, 215 और 216 का हिस्सा आवंटित किया गया – सड़क से सटे प्लॉट संख्या 212/2 के हिस्से को गांव सभा द्वारा उपयोग के लिए बचत भूमि के रूप में माना गया था – P को प्लॉट संख्या 212/2 का एक बहुत छोटा हिस्सा आवंटित किया गया – गांव सभा द्वारा उपयोग के लिए बचत भूमि के रूप में आरक्षित भूमि और मुख्य सड़क से सटे पी को आवंटित भूमि – प्रतिवादी को भी प्लॉट संख्या 215 का एक हिस्सा भी आवंटित किया – अपीलकर्ता ने गाँव सभा द्वारा उपयोग की जाने वाली बचत भूमि के रूप में भूमि के सामने के हिस्से के आवंटन या पी को भूमि के आवंटन को चुनौती नहीं दी – B, प्रतिवादी के पक्ष में भूमि के आवंटन को चुनौती दी – बंदोबस्त अधिकारी ने आवंटन में संशोधन किया उत्तरदाता को मुख्य सड़क बचत भूमि से सटे भूखंड 212/2 में भूमि आवंटित की गई थी और उसे एक भूखंड से दूसरे भूखंड में बदल दिया गया था – अपीलकर्ता का हिस्सा भी बदल गया – अपीलकर्ता द्वारा चुनौती – उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपीलकर्ता को निपटान अधिकारी के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था – निर्णय : यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की सड़क तक पहुंच रही होगी जब गांव सभा को बचत भूमि के रूप में भूमि आवंटित की गई थी – वे भूमि का उपयोग भी कर सकते थे और सड़क तक उसकी पहुंच प्रभावित नहीं होती, अगर भूमि का वह हिस्सा प्रतिवादी को आवंटित नहीं किया गया होता – इस आदेश ने पहले के आदेश को लगभग रद्द कर दिया और इस प्रकार, अपीलकर्ता को B द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का अधिकार था – यदि कोई आदेश किसी भी पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उसे चुनौती देने का अधिकार है – अपीलकर्ता B द्वारा दायर अपील में एक पक्ष नहीं था, लेकिन निपटान अधिकारी, चकबंदी द्वारा पारित उक्त आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को सड़क तक पहुंच से लगभग वंचित कर दिया गया था – इस प्रकार, उपनिदेशक, चकबंदी अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण पर विचार करने और पुन: आवंटन करने में उचित था – उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए गलती की कि अपीलकर्ता को निपटान अधिकारी के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसने मूल कार्यवाही में मूल आदेश को चुनौती नहीं दी थी, जिसके तहत भूमि के सामने के हिस्से को बचत भूमि के रूप में माना गया था – बाद में प्रतिवादी को भूमि का आवंटन और बचत भूमि के स्थानांतरण ने अपीलकर्ता को कार्रवाई के नए कारण को जन्म दिया – इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उप निदेशक, चकबंदी द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत का

निर्णय : उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9(2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 9(1) के तहत नोटिस भेजा गया है, उसे नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। धारा 11 A में प्रावधान है कि चकबंदी क्षेत्र से संबंधित भूमि आदि के दावों के संबंध में कोई भी प्रश्न, जिसे धारा 9 (2) के तहत उठाया जा सकता है या उठाया जाना चाहिए था और उस स्तर पर नहीं उठाया गया था, को चकबंदी कार्यवाही के बाद के चरण में उठाने या सुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन दो प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई मसौदा योजना तैयार की जाती है या भूमि के आवंटन की सूचना जारी की जाती है, तो यदि किसी व्यक्ति को उस पर कोई आपत्ति है, तो उसे उस स्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और यदि वह इसे दायर नहीं करता है, तो उसे बाद के चरण में इन आपत्तियों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 8] [473–D–ई]

1.2 प्रत्येक मामले का निर्णय उसी के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले में, अपीलकर्ता ने 'P' को भूमि का एक बहुत छोटा हिस्सा देने और गांव सभा द्वारा उपयोग की जाने वाली बचत भूमि के रूप में भूमि के सामने के हिस्से के आवंटन पर आपत्ति नहीं की थी। इस मामले में प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 के मालिक 'B' ने अपील दायर की थी। यद्यपि यह अपील 'D' को किए गए आवंटन को चुनौती देने तक सीमित थी, लेकिन निपटान अधिकारी, चकबंदी ने अपील को अनुमति देते हुए मूल चकबंदी आदेश को वस्तुतः निरस्त कर दिया और प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 में अपीलकर्ता को आवंटित भूमि ले ली और उसे प्लॉट संख्या 212/2 में अपनी जमीन फिर से आवंटित कर दी, प्लॉट संख्या 216 में गांव सभा को जमीन आवंटित की और प्लॉट संख्या 212/2 में जमीन का अगला हिस्सा 'P' और 'D' को आवंटित किया। नक्शे से स्पष्ट है कि जब गांव सभा को बचत भूमि के रूप में भूमि आवंटित की गई थी, तब अपीलकर्ता की सड़क का उपयोग कर सक रहा होगा। अपीलकर्ता भूमि का उपयोग भी कर सकता था और सड़क तक उसकी पहुंच प्रभावित नहीं होती, अगर भूमि का वह हिस्सा 'D' को आवंटित नहीं किया गया होता। इस आदेश ने पहले के आदेश को लगभग रद्द कर दिया और इसलिए, अपीलकर्ता को 'B' द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी, चकबंदी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का अधिकार था। यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि यदि कोई आदेश किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उसे इसे चुनौती देने का अधिकार है। अपीलकर्ता 'B' द्वारा दायर अपील में पक्षकार नहीं था, लेकिन 'B' द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी, चकबंदी द्वारा पारित आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को सड़क तक पहुंच से लगभग वंचित कर दिया गया था। इसलिए, उपनिदेशक, चकबंदी अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण पर विचार करने और पुन: आवंटन करने में उचित था। [पैरा 10] [473–एफ–एच; 474–ए–सी]

1.3 उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए गलती की कि अपीलकर्ता को 'B' द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी, चकबंदी के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसने मूल कार्यवाही में मूल आदेश को चुनौती नहीं दी थी, जिसके तहत भूमि के सामने के हिस्से को बचत भूमि के रूप में माना गया था। दूसरे आदेश ने पहले के आदेश को लगभग रद्द कर दिया और इसने अपीलकर्ता को कार्रवाई का एक नया कारण दिया और वह इसे चुनौती दे सकता था। जहां तक 'P' का संबंध है, उन्होंने चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी। रिट कोर्ट ने उन कथनों पर विचार नहीं किया जिसमें 'D' ने प्रार्थना की थी कि उसे प्लॉट संख्या 319 को फिर से आवंटित किया जाना चाहिए और प्लॉट संख्या 212/2 में उठाए गए निर्माण के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये दिए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है

और उपनिदेशक, चकबंदी द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है। प्रतिवादी, 'D' को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी लागत पर पूरे निर्माण को हटाए और निर्धारित अवधि के भीतर अपीलकर्ता को भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दे। [पैरा 11–13] [474–ई–एच; 475–ए–B]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 394 वर्ष 2009.

सिविल विविध रिट याचिका संख्या 12972 वर्ष 1984 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 10.03.2006 के निर्णय और आदेश से।

नीरज कुमार जैन, ए. मरियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. एन. सिंह, सुश्री अरुणा

अपीलकर्ता की ओर से माथुर, सुश्री अनुराधा अरपुथम, संजय सिंह, विकास के. सिंह।

प्रतिवादी के लिए दीप्तकीर्ति वर्मा, अधिवक्ता।

न्यायालय का किसके पारित किया गया, द्वारा–

दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति. 1. अपीलकर्ता वृंदावन में ठाकुर राधेमोहनजी महाराज के मंदिर टोपी कुंज स्थित श्री मुकुंददेवाचार्य पीठ का महंत है। मंदिर 2.48 एकड़ के प्लॉट संख्या 212/2 का मालिक था। प्रतिवादी संख्या 1 देवकी देवी 0.44 एकड़ की 319 संख्या की जमीन की मालिक थीं। एक बंसी बल्लभ नामक व्यक्ति [इन कार्यवाही में एक पक्ष नहीं], प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 के मालिक थे।

2. चकबंदी की कार्यवाही हुई और कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता को प्लॉट संख्या 212/2 का एक हिस्सा, प्लॉट संख्या 215 का एक हिस्सा और प्लॉट संख्या 216 का एक हिस्सा आवंटित किया गया। सड़क से सटे प्लॉट संख्या 212/2 के एक हिस्से को गांव सभा द्वारा उपयोग के लिए बचत भूमि के रूप में माना गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि प्रेमवती (इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं) को प्लॉट संख्या 212/2 का एक बहुत छोटा हिस्सा भी आवंटित किया गया था। गांव सभा द्वारा उपयोग के लिए बचत भूमि के रूप में आरक्षित भूमि और वृंदावन चटीकरा मुख्य मार्ग से सटे प्रेमवती को आवंटित भूमि। देवकी देवी को प्लॉट संख्या 215 का 0.18 एकड़ का एक हिस्सा भी आवंटित किया गया था। अपीलकर्ता ने गांव सभा [बचत भूमि] को भूमि के आवंटन या प्रेमवती को भूमि के आवंटन को चुनौती नहीं दी।

3. प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 के मालिक बंसी बल्लभ ने देवकी देवी के पक्ष में प्लॉट संख्या 215 में 0.18 एकड़ जमीन के आवंटन को चुनौती देते हुए अपील दायर की। यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्तमान अपीलकर्ता उन कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था। बंसीबल्लभ द्वारा 27.08.1981 को दायर अपील को निपटान अधिकारी, चकबंदी ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी ने अपील को केवल देवकी देवी के खिलाफ दावे तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जोत टेबल में संशोधन का आदेश दिया और अब देवकी देवी, जिन्हें प्लॉट संख्या 215 में जमीन आवंटित की गई थी, को वृंदावन चटीकरा मुख्य मार्ग से सटे प्लॉट संख्या 212/2 में 0.17 एकड़ जमीन आवंटित की गई। अपीलकर्ता की जोत [हालांकि वह कार्यवाही में पक्ष नहीं था] को भी बदल दिया गया और प्लॉट संख्या 215 में उसे आवंटित 0.39 एकड़ जमीन और प्लॉट संख्या 216 में 0.36 एकड़ जमीन छीन ली गई और उसे प्लॉट संख्या 212/2 में 0.66 एकड़ जमीन दी गई,

जो उसे पहले से ही आवंटित की गई थी। जहां तक बचत भूमि का संबंध था, इसे प्लॉट संख्या 212/2 से बदलकर प्लॉट संख्या 216 के उत्तर–पूर्व कोने में 0.62 एकड़ कर दिया गया था। अपीलकर्ता का दावा है कि वह इस आदेश से अनजान था क्योंकि वह बंसी बल्लभ द्वारा दायर अपील में एक पक्ष नहीं था।

4. अपीलकर्ता ने निपटान अधिकारी, चकबंदी के समक्ष एक बहाली आवेदन दायर किया और साथ ही, दिनांक 27.08.1981 के आदेश के खिलाफ उपनिदेशक, चकबंदी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। बहाली आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर निपटान अधिकारी, चकबंदी द्वारा खारिज कर दिया गया था कि चूंकि अपीलकर्ता ने चकबंदी कार्यवाही के पहले दौर में प्लॉट संख्या 212/2 में अपनी जोत की कमी को चुनौती नहीं दी थी, जिसमें उसके भूखंड के सामने के हिस्से को गांव सभा द्वारा उपयोग के लिए बचत भूमि के रूप में आरक्षित किया गया था। वह दूसरे दौर में इसे चुनौती देने के हकदार नहीं थे। तथापि, उपनिदेशक, चकबंदी ने अपीलकर्ता द्वारा 13–12–1983 को दायर पुनरीक्षण की अनुमति दे दी। चकबंदी उपनिदेशक से पहले बंसी बल्लभ, हरि वल्लभ, देवकी देवी और गांव सभा सभी पक्षकार थे। प्रेमवती को भी बाद में कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया था। नोटिस भेजे गए लेकिन प्रतिवादी देवकी देवी और प्रेमवती पर एकतरफा कार्रवाई की गई और पुनरीक्षण की अनुमति दी गई। जोत की संशोधित तालिका द्वारा, अपीलकर्ता को प्लॉट संख्या 212/2 आवंटित किया गया था, जो उसकी मूल जोत थी और प्रेमवती और देवकी देवी दोनों को प्लॉट संख्या 216 में जमीन आवंटित की गई थी।

5. इसके बाद, प्रेमवती और देवकी देवी दोनों ने चकबंदी के उप निदेशक के समक्ष बहाली आवेदन दायर किया, जिन्होंने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया कि दोनों को विधिवत सेवा दी गई थी। चकबंदी के उप निदेशक ने यह भी कहा कि देवकी देवी अपने मूल प्लॉट यानी प्लॉट संख्या 319 को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थीं और उन्होंने प्लॉट संख्या 216 में उन्हें जमीन के आवंटन को बरकरार रखा। परेशान होकर, देवकी देवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे मुख्य रूप से इस आधार पर लागू फैसले द्वारा अनुमति दी गई कि चूंकि अपीलकर्ता ने गांव सभा और प्रेमवती को प्लॉट संख्या 212/2 के सामने के हिस्से के आवंटन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह संपत्ति का स्वामित्व खो चुका है, इसलिए वह देवकी देवी को इसे देने पर आपत्ति नहीं कर सकता है, खासकर जब उसने मूल आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है |

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है। अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया मुख्य तर्क यह है कि चूंकि प्लॉट संख्या 212/2 का मुख्य हिस्सा बचत भूमि के रूप में आरक्षित था, जिसे गांव सभा को आवंटित किया जाना था, जिसका अपीलकर्ता भी उपयोग कर सकता था, इसलिए उसने इस पर आपत्ति नहीं की थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि बंसी बल्लभ द्वारा दायर अपील में, आवंटन के मूल आदेश को लगभग रद्द कर दिया गया था और यहां तक कि प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 में अपीलकर्ता को आवंटित भूमि भी उनसे वापस ले ली गई थी और उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1, देवकी देवी को सड़क से सटे प्लॉट संख्या 212/2 का अगला हिस्सा आवंटित किया गया था और इससे अपीलकर्ता को कार्रवाई का एक नया कारण मिला। यह भी आग्रह किया गया है कि देवकी देवी द्वारा दायर रिट याचिका में उन्होंने हलफनामे पर एक शर्त रखी थी कि वह अपनी मूल जोत [स्पष्ट रूप से प्लॉट संख्या 319] चाहती हैं, बशर्ते उन्हें 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसलिए, रिट कोर्ट उसे उसके द्वारा की गई प्रार्थना से परे राहत नहीं दे सकता था।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 के वकील देवकी देवी ने यू पी जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 (संक्षेप में 'चकबंदी अधिनियम') की धारा 9 (2) और 11–A का उल्लेख करने के बाद प्रस्तुत किया कि एक बार अपीलकर्ता ने मूल आदेश को स्वीकार कर लिया, तो वह अब भूमि का मालिक नहीं था और वह बाद के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता था।

8. चकबंदी अधिनियम की धारा 9(2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 9(1) के तहत नोटिस भेजा गया है, उसे नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज करानी होंगी। चकबंदी अधिनियम की धारा 11–A में प्रावधान है कि चकबंदी क्षेत्र से संबंधित भूमि आदि के दावों के संबंध में कोई भी प्रश्न, जिसे धारा 9 (2) के तहत उठाया जा सकता है या उठाया जाना चाहिए था और उस स्तर पर नहीं उठाया गया था, को चकबंदी कार्यवाही के बाद के चरण में उठाने या सुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन दो प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई मसौदा योजना तैयार की जाती है या भूमि के आवंटन की सूचना जारी की जाती है, तो यदि किसी व्यक्ति को उस पर कोई आपत्ति है, तो उसे उस स्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और यदि वह इसे दायर नहीं करता है, तो उसे बाद के चरण में इन आपत्तियों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है।

9. प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने प्रेमवती को भूमि का एक बहुत छोटा हिस्सा देने और गांव सभा द्वारा उपयोग की जाने वाली बचत भूमि के रूप में भूमि के सामने के हिस्से के आवंटन पर आपत्ति नहीं की थी। इस मामले में प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 के मालिक बंसी बल्लभ ने अपील दायर की थी। यद्यपि यह अपील देवकी देवी को किए गए आवंटन को चुनौती देने तक सीमित थी, लेकिन बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी ने अपील को स्वीकार करते हुए मूल चकबंदी आदेश को वस्तुतः निरस्त कर दिया और प्लॉट संख्या 215 और प्लॉट संख्या 216 में अपीलकर्ता को आवंटित भूमि ले ली और उसे प्लॉट संख्या 212/2 में अपनी जमीन फिर से आवंटित कर दी, गांव सभान प्लॉट संख्या 216 को जमीन आवंटित की और प्लॉट संख्या 212/2 में जमीन का अगला हिस्सा आवंटित किया। प्रेमवती और देवकी देवी। हमने नक्शे [अनुलग्नक पी –6] का अवलोकन किया है और इससे यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की सड़क तक पहुंच रही होगी जब गांव सभा को बचत भूमि के रूप में भूमि आवंटित की गई थी। अपीलकर्ता भूमि का उपयोग भी कर सकता था और सड़क तक उसकी पहुंच प्रभावित नहीं होती, अगर भूमि का वह हिस्सा देवकी देवी को आवंटित नहीं किया गया होता। इस आदेश ने पहले के आदेश को लगभग रद्द कर दिया और इसलिए, अपीलकर्ता बंसी बल्लभ द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी, चकबंदी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के अपने अधिकार के भीतर था। यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि यदि कोई आदेश किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उसे इसे चुनौती देने का अधिकार है। अपीलकर्ता बंसी बल्लभ द्वारा दायर अपील में पक्षकार नहीं था, लेकिन बंसी बल्लभ द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी, चकबंदी द्वारा पारित आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को सड़क तक पहुंच से लगभग वंचित कर दिया गया था। इसलिए, उपनिदेशक, चकबंदी को अपीलकर्ता द्वारा यहां दायर पुनरीक्षण पर विचार करने और पुन: आवंटन करने के लिए उचित ठहराया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

10. अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्लॉट संख्या 319 में देवकी देवी की मूल जोत लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। यह सच हो सकता है कि उन्हें भूमि का एक छोटा सा हिस्सा आवंटित किया गया है, लेकिन चकबंदी अधिनियम का उद्देश्य जोत के विखंडन को रोकना और एक आम जोत रखना है। चकबंदी के उप निदेशक ने संशोधन की सही अनुमति दी।

11. हमारा सुविचारित विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती की कि अपीलकर्ता को बंसी बल्लभ द्वारा दायर अपील में निपटान अधिकारी, चकबंदी के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसने मूल कार्यवाही में मूल आदेश को चुनौती नहीं दी थी, जिसके तहत भूमि के सामने के हिस्से को बचत भूमि के रूप में माना गया था। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, दूसरे आदेश ने पहले के आदेश को लगभग रद्द कर दिया और इससे अपीलकर्ता को कार्रवाई का एक नया कारण मिला और वह इसे चुनौती दे सकता था। जहां तक प्रेमवती का सवाल है, उन्होंने चकबंदी उपनिदेशक द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी। हम यह भी पाते हैं कि रिट कोर्ट ने रिट याचिका के पैरा 23 में किए गए कथनों पर विचार नहीं किया, जिसमें देवकी देवी ने प्रार्थना की थी कि उन्हें प्लॉट संख्या 319 को फिर से आवंटित किया जाना चाहिए और प्लॉट संख्या 212/2 में उठाए गए निर्माण के लिए मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये दिए जाने चाहिए।

12. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और उप निदेशक, चकबंदी द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं।

13. प्रतिवादी, देवकी देवी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी लागत पर पूरे निर्माण को हटा दें और आज से 30 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दें, जिसमें विफल रहने पर अपीलकर्ता भूमि और भवन का कब्जा लेने के लिए अदालत की सहायता ले सकता है, जिस स्थिति में, देवकी देवी संरचना की लागत या किसी अन्य क्षति की हकदार नहीं होगी।

14. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733